

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

सुभाष


बनाम

अमरसिंह

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 84

सन-2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिपियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तारीख में जारी हुए
30.07.2020	<p>प्रार्थी/सायल की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण/गैरसायलान इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास नथवानिया के खसरा न0 130/14. 9330,291/120 की 1.5650हैक् 293/129 की 0.9610हैक् कुल 204590हैक् भूमि में प्रार्थी के हक हिस्सा की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी पेशी तक बनाई रखी जावे। रास्ते खाला पर रथगन आदेश लागू नहीं होगा। यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपरिथत आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वारते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 14.09.2020 को पेश हो।</p>	
	<p style="text-align: right;">  सहायक-कलक्टर एवं उपखण्ड (अधिकारी) नोहर </p> <p> 14.9.20 नलीह साफल उपर जो सायलान तलबी हेतु पत्रावली रित 14.10.20 को पेश हो। </p> <p> 23/10/20 वंदील वाली के निवेदन किता की हम पत्रावली का जवाब में प्रार्थना पत्र पेश है इतिहास का यह प्रार्थना पत्र नहीं चलाने चाहिए। प्रार्थना पत्र में वाली रोग व वरत जपने प्रार्थना पत्र पेश व वरत प्रार्थना पत्र रिकार्ड किता जाला है पत्रावली परिलक्षित है। </p>	<p> नलीह नली वाली 23/10/20 </p>